6.3.24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। मौजा खड़गदा के खाता सं. 945/859 के कुल खसरा 10 कुल रकबा 0.6144 हे. प्रार्थीगण के खातेदारी स्वामित्व की है। जिसके उपभोग उपयोग में अप्रार्थीगण रुकावट पैदा कर रहे है। उक्त खाते के ख०नं. 5358 के उत्तर तरफ अप्रार्थीगण के खेत होकर वह प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कर परकोटे निर्माण का प्रयास कर रहे है।

अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण की आराजी जरिये बेचान/इकरारनामा के वर्ष 1991 से कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। वर्ष 2004 में अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी की रजिस्ट्री भी अप्रार्थीगण के पक्ष में कर दी, परन्तु भूलवश आराजी नं० 5358 को अंकित रजिस्ट्री में करना रह गया। ख०नं. 5357 वे

कर कृषि कार्य किया जो
5358 पर पर समतली करण कर कृषि कार्य किया जो
रहा है। एवं वृक्ष भी अप्रार्थीगण के द्वारा लगाये
गये है। उक्त खसरो के उपयोग, उपभोग में
प्रार्थीगण रूकावट नही डाले।

पत्रावली पर अप्रार्थीगण के द्वारा दस्तावेज
विक्रय पत्र पेश नही किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा
पेश जमाबंदी में मौजा खड़गदा के ख० नं० 5309,
5310, 5318, 5319, 5320, 5325, 5351, 5358,
5362 व 5363 प्रार्थीगण के खाते दर्ज रेकार्ड
है। एवं दिनांक 9/6/2021 के अनुसार ख० नं० 5358
का सिमांकन भी किया गया है।

यह कि हस्तगत प्रकरण में कब्जे एवं
स्वामित्व को लेकर उभय पक्षकारों के बिच में
विवाद है। जो मूल पत्रावली में दस्तावेजी एवं
मौखिक साक्ष्य से ही तय किया जाना संभव है।

पत्रावली में उपरोक्त विवेचन के आधार
पर उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक वादि
ग्रस्त खाता सं. 945/859 के ख० नं. 5358 व
5357 के मौके एवं रिकार्ड यथास्थिति बनाये
रखने के आदेश दिये जाते है। आदेश खुले
न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम होवे। मूल पत्रावली के साथ
संलग्न रहे।

S.D.O